केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं. 257/टीएल/2021 दिनांक : 8.2.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए याचिका सं. 604/एमपी/2020 में 21.10.2021 के अपने आदेश में आयोग द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अनुसरण में विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मार्ग पर कला अम्ब पर 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर के कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड कला अम्ब पारेषण लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय बी-9, कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली है, द्वारा किया गया है:

क्र.सं.	पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर
1	कला अम्ब में 1X125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर	1X125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर -1, भावी बे – 1

2. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित करते हुए दिनांक 6.3.2019 के पत्र के माध्यम से आवेदक को आरटीएम मार्ग पर 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर के कार्यान्वयन का कार्य आवंटित किया है।
3. केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता ने आरटीएम मार्ग के माध्यम से संबद्ध बेज सहित कला अम्ब उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर के कार्यान्वयन के लिए आवेदक को अलग पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सिफारिश की है।
4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 257/टीएल/2021 में दिनांक 7.2.2022 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए विनियमित टैरिफ तंत्र पर कला अम्ब पर 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर के कार्यान्वयन के लिए आवेदक को अलग पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।
5. पावरग्रिड कला अम्ब पारेषण लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **www.powergrid.in** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 28-2.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदन पर आयोग यथासमय आगे की सुनवाई करेगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(मनोज कुमार झा)
सचिव